

—:कार्यालय आदेश:—

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नलिखित कर्मचारियों को जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के नियम 8 (सी) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, को निम्नांकित शर्तों के आधार पर पांचवा प्रशिक्षण बैच दिनांक 09.03.2011 से आरम्भ किया जा रहा है। अतः निम्न कर्मचारियों को तीन माह का पीएफए का प्रशिक्षण हेतु आर०एफ०पी०टी०सी० हीराबाग जयपुर में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

1. यह कि 10/- स्टॉम्प पेपर पर प्राशिक्षणार्थी का यह शपथ पत्र कि इस प्रशिक्षण से खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का कोई संबंध नहीं होगा, और इस पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा।
2. प्रशिक्षण के लिए स्टेडी लीव स्वीकृत करवानी होगी।
3. यह कि यह प्रशिक्षण आप को स्वयं के खर्च पर करना होगा, जिसका शुल्क लगभग 7500/- रु० (सात हजार पांच सौ रूपये) रखा गया है।
4. प्रशिक्षण शुल्क पीएफए अनुभाग निदेशालय मुख्यालय में जमा करायेगें।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	श्री हुकमाराम जाट	मेल नर्स-2	कांवटिया अस्पताल जयपुर
2	श्री अशोक कुमार लखेरा	लेब टैक्नीशियन	सीएमएचओ कार्यालय अलवर
3	श्री पवन कुमार गुप्ता	लेब टैक्नीशियन	लेब जयपुर
4	श्री नन्दराम मीणा	लेब टैक्नीशियन	कल्याण अस्पताल सीकर
5	श्री हरदेवा राम	लेब टैक्नीशियन	जिला क्षय निवारण केन्द्र सीकर
6	बाबू लाल तगाया	लेब टैक्नीशियन	पीएमओ सवाईमाधोपुर
7	श्री राजेन्द्र शर्मा	स०रेडियो	जेएलएन अस्पताल अजमेर
8	श्री सुशील खण्डेलवाल	लेब टैक्नीशियन	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर
9	श्री राकेश चन्द्र मित्तल	मेल नर्स-2	रा० चि० मालवीय नगर जयपुर
10	श्री सुनील कुमार पामेचा	लेब टैक्नीशियन	सा० सवा० केन्द्र बडगांव उदयपुर
11	श्री जगदीश प्रसाद चौधरी	लेब टैक्नीशियन	प्रा० स्वा० केन्द्र चौप जयपुर
12	श्री मनीष कुमार शर्मा	लेब टैक्नीशियन	जेएलएन अजमेर
13	श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत	क०लि०	जन स्वा० प्रयोगशाला जोधपुर
14	श्री रामेश्वर लाल धाकड	एमपीडब्ल्यू	प्रा०स्वा० केन्द्र आमलदा भीलवाडा
15	श्री महेन्द्र सिंह,	लेब टैक्नीशियन	प्रा०स्वा० केन्द्र किरडोली सीकर
16	श्री मोहम्मद सलीम काजी	वार्ड बाय	सामान्य चिकित्सालय चूरू
17	श्री कैलाश चन्द्र	कनिष्ठ लिपिक	ब्लॉक मु० चि० अधिकारी सरदारशहर
18	रमाकान्त शर्मा	मेल नर्स-2	सीएमएचओ कार्यालय अलवर
19	श्री रफीक मोहम्मद	लेब टैक्नीशियन	पीएचसी लखोवाली, हनुमानगढ़
20	श्री अनिल सोनपुरा	लेब टैक्नीशियन	महाराणा भोपाल चिकित्सालय अजमेर
21	श्री बरकततूला खां	लेब टैक्नीशियन	आरएनटी मेडिकल कॉलेज
22	श्री रामबाबू	लेब टैक्नीशियन	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर
23	श्री जेठाराम जयपाल	लेब टैक्नीशियन	जन स्वा० प्रयोगशाला जोधपुर
24	श्री भालसिंह	लेब टैक्नीशियन	सीएचसी कुम्हेर, भरतपुर
25	श्री जितेन्द्र कुमार	लेब टैक्नीशियन	जिला कुष्ठरोग अधिकारी पुराना घाट जयपुर
26	श्री मनीष कुमार शर्मा	सा०रेडियोग्राफर	एमजी हॉस्पिटल भीलवाडा
27	श्री नेमी चन्द जैन	लेब टैक्नीशियन	एमजी हॉस्पिटल भीलवाडा
28	श्री घनश्याम शर्मा	मेल नर्स-2	सीएचसी रींगल
29	श्री लोकेश शर्मा	स० रेडियो	जनना अस्पताल अलवर
30	श्री विनोद कुमार एन परमार	लेब टैक्नीशियन	टी०बी० क्लीनिक, जालौर

नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदिउक्त उल्लेखित नामों में निविदा (कान्टेक्ट) पर कार्यरत कर्मचारी को इस प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वा० सेवाये  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) निदेशालय मुख्यालय।
5. अधीक्षक, सवाईमान चिकित्सालय जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0 स्वा0) मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
8. प्रधानचार्य आरएफपीटीसी हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध करावें।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन .....।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ..... को भेजकर लेख है कि कर्मचारी से स्टेडी लीव हेतु आवेदन प्राप्त करने पश्चात् कार्यमुक्त करें।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि कर्मचारी से स्टेडी लीव हेतु आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् कार्यमुक्त करें।
12. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां तथा शपथ पत्र एवं निर्धारित शुल्क तथा विभाग में नियमित नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिनांक 08.03.11 तक पीएफए अनुभाग निदेशालय मुख्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाये  
राजस्थान, जयपुर

18/3/11